

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प.159/आई.ई.सी./भामा.स्वा.बीमायोजना/2015/1762

दिनांक :- 30/12/2015


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
समस्त जिला आई.ई.सी. कोर्डिनेटर,
राजस्थान।

विषय :- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि प्रदेश में आमजन से जुड़ी राजस्थान सरकार की महत्वकांक्षी योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का 13 दिसम्बर 2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदय की ओर से शुभारम्भ किया गया है। योजना की आई.ई.सी गतिविधियों को लेकर 28 दिसम्बर 2015 को माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं-

1. सभी जिला आई.ई.सी समन्वयक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अपने जिलों का आई.ई.सी प्लान 04 जनवरी 2016 तक निदेशक आई.ई.सी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें। प्लान भेजने में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
2. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारम्भ से पूर्व भी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से स्थानीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। इसी तरह अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी स्थानीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करें। जिसमें सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नामों के बारे में आवश्यक रूप जानकारी प्रकाशित करवाए।
3. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार-प्रसार में पूर्व में होर्डिंग्स व फ्लेक्स चार मुख्य स्थानों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल व कलेक्ट्रेट पर लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे। ये सभी होर्डिंग्स फ्लेक्स उपयुक्त स्थानों पर लगे हैं या नहीं ये सुनिश्चित कर लें। साथ ही जिला परिषद एवं जिले की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी होर्डिंग्स फ्लेक्स लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. योजना को लेकर नुक्कड़ नाटक के लिए टीम गठित कर टीम के विवरण सहित ब्लॉकवार होने वाले नाटक के बारे में कार्ययोजना बनाकर भेजें।
5. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना व आरोग्य राजस्थान अभियान की आई.ई.सी सामग्री में पोस्टर, पम्पलेट व लीफलेट जिले में वार्ड पंच से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिससे वे अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी जनसभा में आरोग्य राजस्थान व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दे सकें।
6. जिलों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए लगाई गई कियोस्क की फोटो भी सभी आई.ई.सी समन्वयक निदेशक आई.ई.सी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सभी स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के पम्पलेट्स जिले में वितरित करवाएं। इस कार्य के दौरान ये ध्यान रखें कि एक दिन में एक ही समाचार पत्र के माध्यम से पम्पलेट्स का वितरण हो। इस कार्य को एक सप्ताह तक विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाना है।
8. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी गतिविधियों के संबंध में पूर्व में दिनांक 11 दिसम्बर 2015 को भेजे गए पत्र क्रमांक 24 के अनुसार ही उपरोक्त कार्य के लिए न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी द्वारा प्रति जिले को दी गई एक लाख रुपये की राशि का ही उपयोग किया जाना है।
9. सरकारी अस्पताल की उन सभी स्टेशनरी पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में संदेश प्रकाशित करवाएं जो इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राप्त होती है।

- सलंगन- 1. पत्र क्रमांक 24 दिनांक 11.12.2015
2. पत्र क्रमांक 25 दिनांक 11.12.2015



अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.159/आई.ई.सी./भामा.स्वा.बीमायोजना/2015/1762

दिनांक :- 30/12/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (जन स्वा.) चिकि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
एन.एच.एम., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/24

दिनांक : 11/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त
राजस्थान।

विषय:-भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के आई.ई.सी. के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुमारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को होना है इसके अन्तर्गत समस्त जिला स्तर पर योजना के लिए प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) यथा पोस्टर/बैनर/पम्पलेट इत्यादि द्वारा किया जाना है इस सन्दर्भ में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने जिले में स्थित ई-मित्र केन्द्रों पर भी प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस हेतु प्रत्येक जिले में न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों को एक लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से प्रचार-प्रसार के लिए राशि इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा दी गई है आप सभी कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी. हेतु दिए गए बजट का इस्तेमाल करें किन्हीं परिस्थितियों में यदि भुगतान में समस्या आती है तो आई.ई.सी. के लिए इस्तेमाल हुई रकम का ब्यौरा बिल सहित राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे सक्षम स्तर से बिलों का भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/24

दिनांक : 11/12/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
13. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
14. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर, समस्त।
17. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
18. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
20. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।
21. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम कराने।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/25

दिनांक : 11/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त
जिला आई.ई.सी. को-ऑर्डिनेटर, समस्त
राजस्थान।

विषय- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में आई.ई.सी. गतिविधियों में आवश्यक बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को होना है इसके अन्तर्गत समस्त जिला स्तर पर योजना के लिए प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) यथा पोस्टर/बैनर/पम्पलेट इत्यादि द्वारा किया जाना है इसके साथ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आई.ई.सी. को-ऑर्डिनेटर ये जरूर प्रचारित करें कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु आने वाला लाभार्थी अपने साथ राशन कार्ड/आर.एस.बी.वाई. कार्ड/भामाशाह कार्ड अवश्य लावें।

राशन कार्ड या आर.एस.बी.वाई. कार्ड प्रस्तुत करते समय लाभार्थी को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र भी लाना आवश्यक है जिससे यह साबित किया जा सके कि वह राशन कार्ड या आर.एस.बी.वाई. कार्ड में दर्ज परिवार का सदस्य ही है। इसके साथ समस्त मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना के अन्तर्गत एमपीनलड अस्पतालों (सरकारी या निजी) पर उनके द्वारा बुने गए डिजीज पैकेजों की एक लिस्ट अस्पताल में फ्लैक्स अथवा बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करावें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/25

दिनांक : 11/12/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. समस्त, प्राध्याप्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.